GCMS संख्या 2022/78
प्रकरण संख्या 06/22
अम्बालाल बनाम ग्रा.पं. अमरपुरा खा.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/78

प्रकरण संख्या 06/2022

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री अम्बालाल भील   बनाम   ग्राम पंचायत अमरपुरा खालसा

ग्राम पंचायत अमरपुरा खालसा द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 359 दिनाक 05.06.2008 के विरूद्ध नामान्तरण अपील

निर्णय

दिनांक : 05.05.2022

1. अपीलांट श्री अम्बालाल पिता श्री धन्ना भील एवं श्री मांगीलाल पिता श्री भेरूलाल भील निवासी छोटी नोखा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर द्वारा ग्राम पंचायत अमरपुरा खालसा द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 359 दिनांक 05.06.2008 के विरूध नामान्तरण अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया जिसमें अपीलांट ने निवेदन किया कि मौजा कापड़ियों का खेड़ पटवार हल्का अमरपुरा खालसा तहसील भीण्डर के आराजी संख्या 157, 158, 159, 160, 164, 177 किता 6 रकबा 30 बीघा 9 बिस्वा (नवीन खसरा संख्या 322, 428, 430, 431, 432, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 446 किता 13 रकबा 6.5800 हेक्टेयर) स्थित होकर राजस्व रेकर्ड में श्री उदा पिता भगा मीणा के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। श्री उदा पिता भगा की विरासत के नामान्तरण संख्या 317 से उक्त भूमि देवा, वरदा, लालू, नंगा, अमरा, सवा, चोखा, कनी पिता उदा मीणा सा. देह के नाम दर्ज हुई ओर नामान्तरण सं. 343 से हक त्याग से वरदा, अमरा, सवा कनी का 4/8 हिस्सा एवं चोखा का 1/8 हिस्सा एवं कुल 5/8 हिस्सा चोखा पिता उदा के नाम दर्ज हुआ एवं देवा, कालु, नंगा का 3/8 हिस्सा यथावत रहा। नामान्तरण सं. 353 विरासत श्री देवा पिता उदा मीणा के बजाय बालु, वजेराम, परथा, भमरू, भीमा, नारायण, भंवरी, नाथड़ी, हुड़ी शान्ती के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज हुई यानि प्रत्येक के नाम 1/80 – 1/80 हिस्से से अंकित हुई। नंगा की विरासत के नामान्तरण सं. 354 से नंगा का 1/8 हिस्सा उसके वारिश मांगू लीला, लेरकी वेलकी एवं मु0 लोगरी के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज हुई यानि प्रत्येक के नाम 1/40 –1/40 हिस्से से अंकित हुई। लालू पिता उदा का 1/8 विरासत के नामान्तरण संख्या 355 से नाना, शंकर, मोवनी, कमली, सुगना, गीता मु0 वरदी के नाम हिस्सा बराबर से यानि प्रत्येक के नाम 1/56–1/56 हिस्से से दर्ज है।

2. उक्त भूमि में दिनांक 28.05.2008 को देवा, नंगा, लालू के वारिश बालु, वजेराम, प्रथा, भमरू, भीमा, नारायण, भमरी, नाथड़ी, हुडी, शान्ता, लीला, लेरकी, मु. लोगरी, नाना, मोहनी, कमली, सुगना, गी[illegible] चोखा पिता उदा मीणा के पक्ष में रजिस्टर्ड रिलिज डीड के जरिये [illegible]र दिया जिससे उक्त भूमि में 5/8 हिस्सा तो पहले से [illegible]/280 हिस्सा हो गया ओर शेष मांगू पिता [illegible] 1/40 हिस्सा [illegible] पुत्री नंगा 1/40 हिस्सा शंकर पिता लालू 1/56 हिस्सा [illegible] नामान्तरण से प्रथा, शान्ता पि[illegible] 2/800, मांगू, लेरकी, वेलकी पिता नंगा 3/2[illegible] शंकर पिता लालू 1/396 [illegible] पिता उदा जिसका ज्ञान नही होने से आगे कमशः इसी गलत हिस्से से विक्रय पत्र निष्पादित हुए जिससे अपीलांट ने यह अपील पेश कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का द्वारा जेर बहस नामान्तरण सं. 359 दिनांक 05.06.2008 में जो हिस्से दर्ज किये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:44:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

वो गलत दर्ज कर दिये गये जिसे खातेदारों के नाम दर्ज गलत हिस्सो को आधार बनाकर विक्रय पत्र निष्पादित किये गये जिसके आधार पर जो नामान्तरण खुले वह भी गलत है। अतः जेर बहस नामान्तरण दर्ज करने में कानूनी भूल की है। अतः उक्त अपीलाधीन भूमि का नवीन जमाबन्दी में अपीलान्ट सं. 1 के नाम 2689/5600 हिस्सा, अपीलान्ट सं. 2 के नाम 2689/5600 हिस्सा एवं रेसपोडेन्ट सं. 1 के नाम 37/5600 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट सं. 2 के नाम 37/8400 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट सं. 3 के नाम 37/8400 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट सं. 4 के नाम 37/8400 हिस्सा, रेस्पाडेन्ट सं. 5 के नाम 37/2800 हिस्सा, रेस्पाडेन्ट सं. 6 के नाम 37/5600 हिस्सा अंकित है जो गलत है। जब कि सम्पूर्ण भूमि अपीलान्टा के नाम दर्ज होनी चाहिये थी। अतः अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि नामान्तरण संख्या 359 दिनांक 28.05.2008 को निरस्त किया जाकर इसके बाद निष्पादित समस्त नामान्तरण को निरस्त किया जाकर नये सिरे से सही हिस्से अनुसार नामान्तरण किया जावे।

3. अपीलान्ट श्री अम्बालाल पिता श्री धन्ना भील द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत दफा 5 अवधि अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को कथित नामान्तरण के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट भील अनुसुचित जन जाति के लोग होकर अनपढ़ ग्रामीण काश्तकार है और उनको कानून का ज्ञान नहीं है ओर उन्होने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पटवारी हल्का को दिया और पटवारी हल्का ने बताया कि तुम्हारा खाता खोल दिया है जब अपीलान्ट ने जब किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत फसली ऋण प्राप्त करने के लिए खाते की नकल लेने पटवारी हल्का के पास गये और पटवारी हल्का को पुराने विकय पत्र को बताये तो पटवारी हल्का ने बताया कि तुम्हारे हिस्से गलत दर्ज हो गये जिस पर पटवारी हल्का से वांछित नकले प्राप्त की तो जानकारी में आया कि जेर बहस नामान्तरण के वक्त सेवन से हिस्सा गलत दर्ज हुआ है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 अवधि अधिनियम को स्वीकार किया जाता है। हमने प्रकरण को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी हुए।

4. उपरोक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट तहसीलदार भीण्डर द्वारा उक्त अपील का जवाब प्रस्तुत किया जिसमें नामान्तरण संख्या 359 दिनांक 28.05.2008 द्वारा हकत्याग में त्यागपत्र के मुकाबले नामान्तकरण में हिस्सा प्रविष्टि अशुद्व स्वीकृत हो दर्ज हुई है जिसको सही किया जाना उचित है तथा अपीलान्ट द्वारा लगाये गये आक्षेप उचित है तथा रेस्पोडेन्ट ग्राम पंचायत अमरपुरा खालसा की ओर से कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ अतः ग्राम पंचायत अमरपुरा खालसा के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं दिये गये तथ्य, दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया तथा रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत पत्र पर मनन किया जिसमें हम यह मानते है कि अपीलांट श्री अम्बालाल पिता श्री धन्ना भील एवं श्री मांगीलाल पिता श्री भेरूलाल भील निवासी छोटी नोखा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर द्वारा ग्राम पंचायत अमरपुरा खालसा द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 359 दिनांक 05.06.2008 के विरूध नामान्तरण अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया जिसमें मौजा कापड़ियों का खेड़ पटवार हल्का अमरपुरा खालसा तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2049–54 के खाता संख्या 27 के आराजी संख्या 157, 158, 159, 160, 164, 177 किता 6 रकबा 30 बीघा [illegible] भूमि श्री [illegible] मीणा सा. देह के नाम दर्ज है। उक्त भूमि **नामान्तरण संख्या 317** वि[illegible] स[illegible] पिता भगा के बजाय देवा, वरदा, लालू, नंगा, अमरा, स[illegible] [illegible] पिता [illegible] सा. देह के नाम दर्ज हुई है तथा **नामान्तरण सं. 343** से हक त्याग से वरदा, [illegible] सवा [illegible] का 4/8 हिस्सा एवं चोखा का 1/8 हिस्सा [illegible] कुल 5/8 हिस्सा [illegible] पिता उदा के नाम दर्ज हुआ एवं देवा, कालु, नंगा का 3/8 हिस्सा यथावत रहा। **नामान्तरण संख्या 353** विरासत से देवा पिता उदा के 1/8 हिस्सा के बजाय वालू, वजेराम, प्रथा, भमरू, भीमा, नारायण, भमरी, नाथड़ी, हुडी, शान्ता पिता देवा के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज हुई। **नामान्तरण संख्या 354** विरासत से नंगा पिता उदा हिस्सा के दर्ज हिस्सा 1/8 के बजाय उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:44:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

वारिश मांगू लीला, लेरकी वेलकी एवं मु0 लोगरी के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज हुई। **नामान्तरण संख्या 355 विरासत से** लालू पिता उदा के दर्ज हिस्सा 1/8 के बजाय नाना, शंकर, मोवनी, कमली, सुगना, गीता मु0 वरदी के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज हुई है। तथा **नामान्तरण संख्या 359 दिनांक 05.06.2008 हकत्याग से प्रथा शान्ता पिता देवा हिस्सा 2/800, मागु, लेरकी वेलकी पिता नंगा 3/200, शंकर पिता लालू 1/392, चोखा पिता उदा 1843/1960 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि** हक त्याग पत्र 12.05.2008 द्वारा बालू, वजेराम, प्रथा, भमरू, भीमा, नारायण, भमरी, नाथड़ी, हुड़ी, शान्ता पिता देवा हिस्सा 1/8 तथा लीला, लेरकी पिता नंगा, लोगरी बेवा नंगा हिस्सा 3/40, एवं नांना, मोहनी, कमली, सुगना, गीता पिता लालु, वरदी बेवा लालू हिस्सा 6/56 हकत्याग द्वारा चौखा पिता उदा के पक्ष में हुआ जिसकी प्रविष्टियां उक्त नामान्तरण संख्या 359 के तहत प्रथा, शान्ता पिता देवा 2/800, मागु, लेरकी, वेलकी पिता नंगा 3/200 शंकर पिता लालूराम 1/392 चौखा पिता उदा 1843/1960 दर्ज की स्वीकृति हुई जो त्रुटिपूर्ण है जबकि वास्तविक शेष खातेदारान मांगू, वेलकी पिता नंगा 2/40 शंकर पिता लालूराम 1/56 एवं चोखा पिता उदा 261/280 होना चाहिए था।

6. अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत अमरपुरा खालसा द्वारा पारित **नामान्तरण संख्या 359 दिनांक 05.06.2008** को निरस्त कर तहसीलदार भीण्डर को प्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि हक त्याग पत्र की जॉच कर नये सिरे से नामान्तरण की कार्यवाही करे। एवं इस नामान्तरण के बाद के नामान्तरण में भी अगर हक हिस्से के अंतर है तो उस नामान्तरण को भी नये सिरे से जॉच कर पुनः नामान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय खुले ईजलास में सुनाया गया।

5/5/22

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला-उदयपुर(राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:44:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner